

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक नं०-4, शिक्षा संकुल, जयपुर-302015
Email- cao.cce@rajasthan.gov.in Ph - 0141-2703897

क्रमांक : एफ 25(जे)(1)(यूजीसी) लेखा/आकाशि/वेतन निर्धारण/2021/931 दिनांक 10.05.2022

प्राचार्य/कार्यालयाध्यक्ष
समस्त राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान, जयपुर

विषय :- राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों, लाइब्रेरियन एवं पी.टी.आई. के वेतन नियतन में संशोधन के सम्बन्ध में

सन्दर्भ :- वित्त विभाग के नोटिफिकेशन F.4(1) FD/Rules/2009 दिनांक 10.05.2021 तथा विभाग का आदेश दिनांक 23.06.2021।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग के नोटिफिकेशन F.4(1) FD/Rules/2009 दिनांक 10.05.2021 के द्वारा Rajasthan civil Service (Revised Pay for Government College Teacher including librarians and PTIs)(Amendment) Rules, 2009 में संशोधन किया गया है। जिसके क्रम में विभाग के द्वारा दिनांक 23.06.2021 को समस्त महाविद्यालयों को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश के सम्बन्ध में यह उल्लेख है कि उपर्युक्त नोटिफिकेशन का लाभ महाविद्यालयों में दिनांक 01.1.2006 को अथवा उसके बाद कार्यरत कर्मचारियों को भी देय है जो उक्त नोटिफिकेशन से प्रभावित एवं पात्र है। अतः समस्त महाविद्यालय उक्त आदेश की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान
जयपुर

क्रमांक : एफ 25(जे)(1)(यूजीसी) लेखा/आकाशि/वेतन निर्धारण/2021/932-35 दिनांक 10.05.22
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/एच.आर.डी.) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर